मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–4–23/2013/2/पचपन, भोपाल, दिनांक 28/05/2013

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
3– अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
4– समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5– समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :– राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

=00=

वर्तमान में राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर गठित रेफरल कमेटी की अनुशंसा के उपरांत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपचार कराने की स्वीकृति जारी की जाती है तथा संबंधित चिकित्सालय का स्टीमेट प्राप्त होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बिमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेंट में जो कम हो का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता है। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय ऐसे प्रकरणों का परीक्षण उनकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति के समक्ष करेंगे तथा रेफरल पत्र जारी करेंगे, जिसकी प्रति संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभाग तथा संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को देंगे। साथ ही आवेदक द्वारा संबंधित चिकित्सालय का स्टीमेट प्रस्तुत करने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बिमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेंट में जो कम हो का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जारी करेगा।

2/– कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरण जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर उसके संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी/प्रशासकीय विभाग/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से संचालक, चिकित्सा

निरंतर.....2/–

bhanu/ost order

शिक्षा को प्राप्त होने के पश्चात प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निराकृत किये जाते है। ऐसे सभी कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार कार्योत्तर समिति का गठन किया जाता है :-

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य सचिव
3.	अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	सदस्य
5.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त	सदस्य
6.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. चंबल संभाग एवं ग्वालियर संभाग के प्रकरणों को ग्वालियर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, उज्जैन संभाग एवं इन्दौर संभाग के प्रकरणों को इन्दौर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, नर्मदापुरम संभाग एवं भोपाल संभाग के प्रकरणों को भोपाल संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, शहडोल संभाग एवं रीवा संभाग के प्रकरणों को रीवा संभाग में गठित कार्योत्तर समिति द्वारा निराकरण किया जावेगा।

2. उक्त कार्योत्तर समिति में प्रकरण अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत रखे जावेगे तथा कार्योत्तर समिति में लिये गये निर्णयानुसार इस विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज की सीमा तक कि राशि की अनुशंसा आदेश अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।

3. शासन द्वारा निर्धारित पैंकेज से अधिक शेष राशि के प्रकरणों के संबंध में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अनुशंसा के साथ अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव संचालक, चिकित्सा शिक्षा को अविलंब भेजेगे।

4. राज्य स्तरीय कार्योत्तर समिति में उन प्रकरणों पर विचार किया जावेगा, जिसमें संभाग स्तरीय समिति को किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई मार्गदर्शन अथवा अभिमत चाहा गया हो। यह सभी प्रकरण संचालक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रतिमाह प्रस्तुत किये जावेगे।

निरंतर........3/-

5. संभाग स्तरीय कार्योत्तर समिति की बैठक प्रत्येक माह की एक से दस तारीख के बीच अनिवार्यतः आयोजित्त की जावेगी तथा इस बैठक में अद्यतन सभी प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार एक माह में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी।

6. शासकीय कर्मचारियों के द्वारा राज्य के बाहर निजी संस्थाओं में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति की बैठकों का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह संभाग स्तरीय कार्योत्तर समिति के सदस्य सचिव अर्थात अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भेजेगे एवं अभिलेख/पंजी संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता के कार्यालय मे संधारित किए जायेगे।

7. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय तिर्की)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ–4– 23/2013/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 28/05/2013

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचलाक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

bhanu/ost order